न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

संख्या - 50/2019 वाद शीर्षक.. बनाम..

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
03.6.24 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारीजी राज कॉज समय/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 02-9-24 को पेश हो।	
02.09.24 पत्रा० पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरदाता उप० अधिवक्ता वादी द्वारा प्रति उत्तर प्रा० पत्र सं. 1 के सम्बन्ध में का० कु० प्रा० पत्र पेश नहीं, पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा प्रकरण अवरोमेन्ट के आधार पर खारिज कर दिया जायेगा। पत्रा० वास्ते पेश होने प्रा० पत्र का० कु० हेतु दि० 04.11.24 को पेश हो।	(4)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
4-11-24 वादी/प्रतिवादी उ... पीठासीन अधिकारी राज का... पर है। पत्रावली पूर्व आदेश ... पालना में दिनांक 7-2-25 को पेश हो।	
7-2-25 वादी/प्रतिवादी अधि... पीठासीन अधिकारी राज काज ... पर है। पत्रावली पूर्व आदेश ... पालना में दिनांक 28-4-25 को पेश हो।	
28.04.25 पत्रा० पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरदाता उप० कथन कु० प्रा० पत्र पेश नहीं, पूर्व	

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रकरण : संख्या – .... शीर्षक.................................... बनाम.............

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	में हिदायत अवसर दिए जाने पर भी पेश नहीं अंतिम अवसर चाहा गया। पुनः प्रार्थ न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। अन्यथा प्रक० आदेशिका के आधार पर खारिज का ही प्रयोजनी प्रका० दि० 23.5.25 को पेश हो।
No instruction (S.L. Laddha) AA	

न्यायालय सहायककलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द

मुकदमा नम्बर 50/2019 **अनवान** रता बाई........ **बनाम** ....मांगू सिंह

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी गण अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता उपस्थित। वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि अब वादीगण/प्रार्थीगण उनके सम्पर्क मे नही होकर प्रकरण मे हिदायत पैरवी नही होने से वे आज प्रकरण मे No Instruction plead कर रहे है। इसके पश्चात अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण आदेशिका पर No Instruction plead किया गया, एवं इसके पश्चात प्रकरण मे पैरवी हेतु कोई भी उपस्थित नही हुआ। वादीगण/प्रार्थीगण को आवाजे दिलवाई गई न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी गण की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी गण का प्रतिवादी/विपक्षी गण से कोई समझौता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी गण अब प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहते है अथवा वादी/प्रार्थी गण अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नही है। अतः वादी/प्रार्थी गण की और से प्रकरण मे पैरवी हेतु किसी के भी उपस्थित नही होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **(बृजेश गुप्ता R.A.S.)** **सहायक कलक्टर एवं** **उपखण्ड अधिकारी,** **राजसमंद**	